

न्यायालय— अवर न्यायाधीश, षष्ठम्, पटना सिटी

स्वत्व वाद सं०-21/2021

29-05-2023

प्रस्तुत अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। प्रतिवादी सं०-1 के द्वारा आवेदन दिनांक-05.04.2022 अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 और धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता में दाखिल किया गया। आवेदन संचालित करते हुए वे अभिकथन करते हैं कि वादी द्वारा प्रकटतः प्रस्तुत वाद में दावा किये गये अनुतोष के संदर्भ में यह न्यायालय शुल्क अधिनियम के अधीन आता है और यह अधिनियम उस बाजार मूल्य के मूल्यानुसार शुल्क दिये जाने की अपेक्षा करता है जो वाद के तिथि को होगा और जो कम से कम 32 लाख से कम नहीं होगा। परंतु आश्चर्यजनक रूप से काल्पनिक मूल्य बताते हुए केवल घोषणात्मक न्यायालय शुल्क पर यह वाद दाखिल किया गया है और इस तरह प्रकटतः यह अपर्याप्त स्टाम्प पर है तथा साथ-ही उक्त वादी द्वारा उक्त वाद का कोई वैध जो, सरकारी दस्तावेज में दर्ज है, जिसमें कानूनी रूप से वादी का दावा साबित हो सके उक्त वाद के अभिलेख के साथ दाखिल नहीं किया गया है। एक जाली वसीयतनामा दाखिल किया गया है, वसीयत लिखने वाला व्यक्ति का वैध उक्त जमीन का दस्तावेज है ही नहीं और इसलिए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अधीन उक्त वाद खारिज किये जाने योग्य है। वादी अपने वादपत्र में यह भी दर्शाया है कि उक्त जमीन के मालिक मेरे नाना थे एवं जमींदार सैय्यद शाह हामिद हुसैन सज्जादा नसी दरगाह द्वारा हुकुमनामा से प्राप्त हुआ था और ये भी दर्शाया गया है कि स्व० शेख अब्दुल लतीफ मेरे नाना ने 04.08.1950 को वसीयतनामा के द्वारा मेरे दादा स्व० शेख अता हुसैन को उक्त सम्पत्ति हवाले कर दिया था और कहा था कि उक्त सम्पत्ति धार्मिक कार्य व मस्जिद के मसरफ में रहेगी तथा उक्त जमीन मस्जिद नौघरवा के मसरफ में आती रही तथा वर्तमान में उक्त सम्पत्ति की देखरेख वादी द्वारा किया जा रहा है जो सरासर गलत, बेबुनियाद और बनावटी बातों पर आधारित है। वादी के पास यदि कोई कागजात भी है तो वो सभी कागजात बनावटी व जालफरेबी द्वारा बनाया गया है, क्योंकि जमींदार सैय्यद शाह हामिद हुसैन का उपरोक्त वाद के खाता खेसरा की जमीन उपरोक्त स्थल पर 04.08.1950 में वहां कोई भी सम्पत्ति नहीं थी। उक्त प्रतिवादी एक शरीफ व इज्जतदार भारतीय नागरिक हैं तथा कानून में विश्वास करने वाला व्यक्ति है। सर्वे खेसरा प्लॉट सं०-2037, रकवा 18 धुर पर वादी दावा कर रहा है जबकि प्रतिवादी सं०-1 का सर्वे प्लॉट सं०-349 रकवा 10 धुर दिनांक-18.09.2012 ई को प्रतिवादी सं०-2 मसो० धर्मशीला देवी से रजिस्ट्री बैयला-कलामी द्वारा खरीदी गई है, तब से ही उसपर उक्त प्रतिवादी का दखल कब्जा है, जिसका शुद्धि-पत्र

29/05/2023

स्वत्व वाद सं०-21/2021

दिनांक-20.09.2021 ई को रजिस्ट्री बैयला कलामी द्वारा उप निबंधन कार्यालय, पटना सिटी द्वारा दिनांक-20.09.2021 ई को की गई है, जिसमें सारी बातें तफसील से दर्शायी व लिखी गई हैं, जिसकी प्रतिलिपि इस आवेदन के साथ दाखिल की जाती है। सर्वे खेसरा प्लॉट सं०-2037 का खतियान दाखिल करने हेतु वादी को निर्देश दिया जाय कि इस खतियान को माननीय न्यायालय में दाखिल करें। प्रतिवादी सं०-2 मसौ० धर्मशीला देवी ने 10 धुर जमीन जो प्रतिवादी सं०-1 को बेची है, वो सम्पत्ति अपने पति सुरेन्द्र कुमार सिन्हा उर्फ सुखु और सरयुग प्रसाद के बीच बटवारे में 5 कट्ठा 18 धुर 4 धुरकी प्राप्त की है तथा इतने ही जमीन सरयुग प्रसाद को भी बटवारे में बटकर दिनांक-07.03.2000 को मिला है जिसका बटवारे में कागजी प्रमाण भी 07.03.2000 को बना है, जिसपर सभी पक्षों व गवाहों का हस्ताक्षर तथा लेख्य प्रमाणक द्वारा प्रमाणित किया हुआ है जिसकी प्रतिलिपि इस आवेदन के साथ संलग्न किया जाता है। प्रतिवादी सं०-1 ने धर्मशीला देवी से 10 धुर जमीन रजिस्ट्री बैयला कलामी है जबकि, वादी 18 धुर जमीन का दावा कर रहे हैं, तो 8 धुर जमीन के विषय में वादी बताये कि ये किस व्यक्ति को प्राप्त हुआ। इस बात का भी वादी को निर्देश दिया जाय कि वो सम्पत्ति किनके कब्जे में है, बताएं। वादी अपने वाद पत्र में यह भी दर्शाते एवं दावा करते हैं कि धार्मिक स्थल नौघरवा मस्जिद का देखभाल व खर्च वादी करता है, इसका भी वादी को निर्देश दिया जाय कि अपने नौघरवा मस्जिद के हिसाब किताब का वैध प्रमाण श्रीमान् के समक्ष दाखिल करें जबकि प्रतिवादी सं०-2 धर्मशीला देवी के पति स्व० सुरेन्द्र कुमार सिन्हा उर्फ सुखु अपने ज़िंदगी में स्वेच्छा से अपनी राजी-खुशी से 8 धुर जमीन सर्वे प्लॉट 347 को नौघरवा मस्जिद के तिरछे जमीन को सीधा करने के लिए दान दे दिया था तथा वे बहुत बड़ा पुण्य का काम किए थे जो नौघरवा मस्जिद में उक्त जमीन को धार्मिक कार्य हेतु दान दे दिए। लेकिन वादी छल एवं षड्यंत्र के तहत इन बातों को छुपाते हुए अपने मुहल्ले में वर्चस्व बनाने के लिए प्रतिवादी पर गलत मुकदमा दाखिल किया है। खतियान में खेसरा सं०-2037 तौजी-303, थाना नं०-11, रकवा-17 डिसमिल, सैय्यद साह हामिद हुसैन का था, लेकिन सन् 1911 ई० से झपसी महतो वल्द गुरु दयाल महतो, मोहल्ला- गरहुआ, टोला पटना ने सैय्यद साह हामिद हुसैन से 17 डिसमिल जमीन प्राप्त किया था, जो खतियान में दर्शाया गया है, जिसकी प्रतिलिपि इस आवेदन के साथ संलग्न है। म्यूनिसिपल सर्वे खतियान पटना नगर निगम के पंजी में वर्ष 1932-33 प्लॉट सं०-2037 को सर्वे प्लॉट नं०-349, म्यूनिसिपल रिकॉर्ड में दर्ज किया, जिसकी प्रतिलिपि इस आवेदन के साथ संलग्न है। लेकिन वादी जो अपने आवेदन में दावा कर रहे हैं, उसमें कहीं भी वादी के खानदान वालों का नाम दर्ज नहीं है तथा वादी अपने

29/05/2023

स्वत्व वाद सं0-21/2021

आवेदन में दिनांक-04.08.1950 ई0 से सर्वे खेसरा नं0-3037 का जो दावा कर रहे हैं, वो कहीं भी इनके दादा स्व0 शेख अता हुसैन का खतियान वो पटना नगर निगम के खतियान में नाम दर्ज नहीं है, वो न ही कहीं भी वादी का नाम कहीं भी किसी कागजात सरकारी विभाग में दर्ज है, इसलिए वादी का दावा बिल्कुल ही निराधार एवं गलत बातों पर आधारित है। प्रतिवादी सं0-1 का उपरोक्त 10 धुर जमीन जो मसोमात धर्मशीला देवी से रजिस्ट्री बैयला कलामी द्वारा खरीदा है, उसे बदनियति से जबरदस्ती हड़पना एवं कब्जा करना चाहते हैं। मसो0 धर्मशीला देवी का झपसी महतो रिश्ते में अपने ननिया ससुर थे। उपरोक्त सारी कागजातों के आधार पर वादी का दावा सरासर गलत, बेबुनियाद व बनावटी झूठा है एवं प्रतिवादी का कथन उपरोक्त कागजातों के आधार पर बिल्कुल सही एवं सत्य है तथा प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से वादी का वाद खारिज किए जाने योग्य है। इस प्रकार विनम्र निवेदन है कि इस वाद में आगे का कार्यवाही किए जाने तथा कोई लिखित कथन दाखिल किए जाने के पूर्व इसकी पोषणीयता, सत्यता पर निर्णय लेने की कृपा की जाय।

जबकि, वादी अपने प्रत्युत्तर के माध्यम से प्रतिवादी सं0-1 के आवेदन दिनांक-05.04.2022 के आलोक में अभिकथन करते हैं कि प्रार्थी द्वारा दाखिल आवेदन पोषणीय नहीं है और न ही किसी विधि एवं तथ्य पर आधारित है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत आवेदन को विद्वेषपूर्ण आशय से वादी को तंग-तबाह करने के लिए दाखिल किया गया है। साथ-ही प्रार्थी के आवेदन के सभी पारा आधारहीन, असत्य, सफेद झूठ है, जो प्रार्थी का आवेदन खारिज करने के योग्य है। वादी वादग्रस्त सम्पत्ति पर काफी दिनों से शांतिपूर्ण दखल-कब्जे में चला आ रहा है। वादपत्र के पारा-10 एवं 11 में वाद हेतुक को स्पष्ट रूप से दर्ज एवं खोला गया है तथा पारा-11 में वाद हेतुक कई बार व अंतिम बार 26.12.2020 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण ने उपरोक्त कथनानुसार परिणाम भुगतने की बात कही थी और उक्त वाद हेतुक मोहल्ला- नौघरवा, सुल्तानगंज, थाना सुल्तानगंज, जिला पटना का में उत्पन्न हुआ था। वादपत्र के पारा-12 में वाद का मूल्यांकन रु0 10,00,000/- दर्ज किया गया है, जो उस जगह के अनुसार पर्याप्त है। परंतु अब यह दाखिल किया जाता है कि वाद उद्घोषणात्मक प्रकृति का है, उद्घोषणात्मक वाद के तहत मात्र साधारण प्रकृति के उद्घोषणा हेतु वाद आते हैं और सिरिस्तेदार रिपोर्ट एवं आवश्यकता के अनुसार नियत कोर्ट फी रु0 250/- है, को कोर्ट फी स्टाम्प के माध्यम से भुगतान किया जा चुका है, कोर्ट फी स्टाम्प दाखिल करने के पश्चात् माननीय न्यायालय द्वारा वाद को दर्ज किया गया। दाखिल प्रक्रिया के पश्चात् वादी द्वारा सम्मन निर्गत करने के लिए तलबना फी भुगतान किया जा चुका है। उपरोक्त कथनों के अनुसार यह स्पष्ट है कि आदेश 7 नियम

29/05/2023

स्वत्व वाद सं०-21/2021

11 के तहत वादपत्र को खारिज नहीं किया जा सकता है। अतः प्रतिवादी सं०-1 के आवेदन को खारिज करने की कृपा की जाय।

उभयपक्ष को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन एवं परिशीलन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी के द्वारा दिया गया आवेदन आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दाखिल किया गया है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से प्रावधानित है कि आदेश 7 नियम 11 ए से डी तक के किसी भी प्रावधान के अंतर्गत वादी का वाद चलने योग्य नहीं है तो उसे नामंजूर किया जायेगा, वैसी स्थिति में प्राथी के द्वारा जो आवेदन दाखिल किया गया है, वह आदेश 7 नियम 11 ए से डी तक के किसी प्रावधान में वर्णित नहीं है और न ही इस तरह का कोई तथ्य एवं विधि के प्रश्न को अंतर्वलित किये हैं कि जिससे यह ज्ञात हो कि वादी को वादपत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर वाद लाने का कोई वाद हेतुक प्राप्त नहीं है और न ही उन्हें किसी विधि द्वारा वर्धित किया गया है, ऐसी परिस्थिति में वादी का वादपत्र नामंजूर किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रार्थी के द्वारा अपने दिए गए आवेदन में वर्णित प्रावधानों को स्पष्ट रूप से न्यायालय के समक्ष नहीं रखा है। इस प्रकार प्रार्थी के आवेदन को न्यायहित में खारिज किया जाता है। वाद दिनांक-10.07.2023 अग्रिम कार्यवाही हेतु।

लेखापित

अवर न्यायाधीश, षष्ठम्
पटना सिटी